भारत सरकार की महत्वपूर्ण जल जीवन मिशन के कियान्वयन हेतु जनपद–शाहजहाँपुर में गठित जिला पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (DWSM) समिति की दिनांक 02.02.2023 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन नमामि गंगे जलपूर्ति अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 95/छियत्तर–1–2020–20 स्वजल/2010 टी0सी0ए0–अ0 लखनऊ दिनांक 21.01.2020 के द्वारा पेयजल एंव स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्गत दिशा निर्देशो के अनुरूप जिला पेयजल एंव स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी कियान्वन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर गठित जिला पेयजल एंव स्वच्छता मिशन समिति की बैठक दिनांक 02.02.2023 को कलेक्टेट स्थित सभागार, शाहजहाँपुर में आयोजित की गयी है। बैठक में मै0 एन0सी0सी0 लि0 द्वारा प्रेषित 53 नग डी0पी0आर0 (70 ग्राम पंचायत, 116 राजस्व ग्राम) को विचारोपरान्त SWSM को प्रेषित किया जाना है।

1	जिलाधिकारी शाहजहाँपुर	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी शाहजहाँपुर	उपाध्यक्ष
3	प्रभागीय वनाधिकारी स्वयं अथवा उनके नामित सदस्य	सदस्य
4	मुख्य चिकित्सा अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
5	परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, शाहजहाँपुर	सदस्य
6	जिला विकास अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
7	बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
8	अधिशासी अभियंता वाटर रिर्सोसेस/सिंचाई शाहजहाँपुर	सदस्य
9	अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई, शाहजहाँपुर	सदस्य
10	जिला कृषि अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
11	जिला सूचना एंव जनसंपर्क अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
12	अधिशासी अभियंता वि0/या0 उ0प्र0 जल निगम, मुरादाबाद शाहजहाँपुर।	सदस्य
13	अधिशासी अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण शाहजहाँपुर	सदस्य सचिव

1. जल निगम द्वारा अवगत कराया गया है कि जल जीवन मिशन के अर्न्तगत राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा ग्रामीण पेयजल अपूर्ति हेतु फर्म मै एन0सी0सी0 लि0, हैदाराबाद को चयनित किया गया है। जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो मे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से "जिला पेयजल एंव स्वच्छता समिति" द्वारा फर्म को 1032 ग्राम पंचायतो (1996 राजस्व ग्राम) की सूची उपलब्ध करायी गयी। ग्रामीण क्षेत्रो मे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत फर्म द्वारा राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (SWSM) तथा जल निगम मुख्यालय द्वारा समय समय पर निर्गत किए गये निर्देशो के अनुपालन मे प्राक्कलन विरचित किये गए है, जिसकी जल निगम एवं मै0 मेधज टैक्नों कान्सेप्ट प्रा0लि0 (डी0पी0एम0यू0), शाहजहाँपुर द्वारा तकनीकी गाइडलाइन के अनुरूप सघनता से जांच की गयी। फर्म द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 मे ली गयी कार्यो की दरें SWSM Schedule रेट के आधार पर ली गयी है। सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि शासन द्वारा मानकीकृत प्रति व्यक्ति 55 एल0पी0सी0डी0 की दर से अभिकल्पित वर्ष 2052 के लिए विरचित किया गया है।
2. वर्तमान तक "जिला पेयजल मिशन" समिति द्वारा 639 नग डी0पी0आर0 (1597 राजस्व ग्राम) अधिशासी निदेशक नमामि गंगे तथा जलापूर्ति विभाग राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (SWSM) लखनऊ को प्रेषित की जा चुकी है तथा 591 नग डी0पी0आर0 (1375 राजस्व ग्राम) नग की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। इसी कम में आज बैठक में पुनः 53 नग डी0पी0आर0 (70 ग्राम पंचायत, 116 राजस्व ग्राम) "जिला पेयजल एंव स्वच्छता समिति" के समक्ष संस्तुति हेतु प्रेषित की गयी है।

उपरोक्त डी0पी0आर0 में 53 नग डी0पी0आर0 (70 ग्राम पंचायत, 116 राजस्व ग्राम) का तकनीकी परीक्षण किया गया एंव यह भी सुनिश्चित कर लिया गया कि मुख्य अभियंता ग्रामीण उ0प्र0 जल निगम लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देश को संज्ञानित कराते हुये प्राकलनों का तकनीकी परीक्षण खंड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), शाहजहाँपुर द्वारा किया गया है, जो कि निम्नवत् है:--

1. योजनाओ की प्रति व्यक्ति कार्य लागत जनपद के लिए औसतन 6000 रू से कम रखी गयी है, जिसकी पुष्टि तालिका के अंत मे अंकित औसत से स्पष्ट है।
2. स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जिस योजना विशेष की प्रति व्यक्ति लागत रू 7000 से अधिक है, उन योजनाओ का स्थालीय परिक्षण करा लिया गया है एंव समस्त प्रस्ताव का मूल्याकंन स्थलीय आवश्यकता के अनुरूप है।
3. पम्पिंग प्लांट की डिजाइन मे हैड अधिकतम 50 मी0 के आधार पर ही प्रस्तावित किया है। इसका परिक्षण अधिशासी अभियंता विद्युत यांत्रिक द्वारा कर लिया गया है।
4. सोलर पी0वी0 माडयूल की क्षमता किलोवाट, पम्प की क्षमता हार्स पावर से अधिकतम 1.4 गुना के आधार पर ही प्रस्तावित की गयी है।
5. जिन योजनाओ मे रोड कटिंग की पुर्ननिर्माण की लागत, वितरण प्रणाली की लागत से 25 प्रतिशत से अधिक है, उस स्थिति में इसका शत प्रतिशत स्थलीय निरीक्षण किया गया है एंव प्रस्तावित कार्य की मात्रा कार्य स्थल के अनुरूप ली गयी है।
6. योजना की डिजाइन जनसंख्या की गणना विभिन्न विधियों से की गयी है एंव आधार वर्ष से अभिकल्पित जनसंख्या अधिकतम 80 प्रतिशत की वृद्धि के अंतर्गत ही प्रस्तावित की गयी है।
7. प्रति घर व्यक्तियों की संख्या 4 से 8 के बीच रखी गयी है।
8. वितरण प्रणाली मे सैंड बेडिंग का प्रविधान नही किया गया है।
9. जलकल परिसर मे सामान्यतः मिटटी भराई प्रस्तावित नही है। जिस ग्राम पंचायत मे जलकल परिसर के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध नही है एंव मिटटी भराव अपरिहार्य है, कि स्थिति में विस्तृत सर्वे कर मात्रा की गणना की गयी है एंव इसी आधार पर संस्तुति करते हुये डी0पी0आर0 प्रस्तुत की गई है।
10. स्पेयर पम्पस का प्रावधान नही किया गया है।
11. योजनओ की जो विशिष्टियां राज्य योजना स्वीकृति रखी गई है, उनमे किसी भी प्रकार का तकनीकी या वित्तीय विचलन नही हो रहा है।
12. सभी कार्य सक्षम अभियंताओ की देखरेख में ही सम्पन्न कराये जाए और टी0पी0आई0 द्वारा लगातार गुणवत्त सुनिश्चित कराये जाने का अनुपालन किया जायेगा।
13. सेन्टेज चार्ज का वहन केन्द्रांश से नही किया जायेगा, प्रदेश सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुरूप इसमें निर्माण लिया जायेगा।
14. साथ ही अवगत कराना है कि योजनाओ मे प्रस्ताव का परीक्षण मौंके पर स्थलीय परीक्षण के अनुरूप लिया गया है एंव इन कार्यो के सम्पादन के उपरान्त योजना अपने उददेश्य में जनोपयोगी हो सकेगी।

उक्त क्रम मे ग्रामीण क्षेत्रो मे पेयजल अपूर्ति हेतु 53 नग डी0पी0आर0 जल निगम द्वारा तकनीकी परीक्षणोपरांत समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए।

<u>उक्त के क्रम में बैठक में अन्य निम्न बिन्दुओ पर निर्देश दिये गये–</u>

1. **<u>डी0पी0आर0 विरचन की प्रगति –</u>** डी0पी0आर0 विरचन की प्रगति के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन फेज–2 एवं फेज–3 के अन्तर्गत आवंटित 1996 राजस्व ग्राम के सापेक्ष उपलब्ध उपयुक्त भूमि 1979 के सापेक्ष अनुबन्धित संस्था द्वारा मात्र 1787 डी0पी0आर0 विरचन की कार्यवाही अभी तक सुनिश्चित की गयी है, जबकि 192 उपयुक्त भूमि के सापेक्ष डी0पी0आर0 विरचन की कार्यवाही अवशेष है। उक्त प्रगति पर मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा रोष व्यक्त किया गया एवं अनुबन्धित संस्था को निर्देशित किया गया कि 05.02.2023 तक अवशेष डी0पी0आर0 विरचन की कार्यवाही शत् प्रतिशत पूर्ण कर ली जाये।
2. **<u>कवर अनुबन्ध –</u>** एस0डब्ल्यू0एस0एम0 द्वारा स्वीकृत डी0पी0आर0 1381 के सापेक्ष गठित कवर अनुबन्ध की प्रगति के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि स्वीकृत 1381 डी0पी0आर0 के सापेक्ष वर्तमान तक फर्म द्वारा 941 कवर अनुबन्ध गठित कराये जाने की

कार्यवाही की गयी है। इस पर भी मुख्य विकास अधिकारी महोदय फर्म के प्रतिनिधि को कड़े निर्देश दिये गये कि शत् प्रतिशत कवर अनुबन्ध गठित कराये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जाये।

3. महाप्रबन्धक मै0एन0सी0सी0 लिमिटेड द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ ग्राम पचांयत सचिव के द्वारा पेयजल योजना निर्माण हेतु गठित कवर एग्रीमेन्ट पर हस्ताक्षर करने से मना किया गया है, के सम्बन्ध मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि सूची उपलब्ध कराने तथा एक प्रति, कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, शाहजहाँपुर को उपलब्ध कराते हुए यथाशीघ्र कार्य सम्पन्न करने हेतु निर्देश दिये गये।

4. मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि समस्त ग्राम पंचायतों से त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठित करने तथा सहमति पत्र प्राप्त करने हेतु ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, मै0एन0सी0सी0 लिमिटेड, आई0एस0ए0 फर्म एवं जल निगम के मध्य मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक करायी जाये।

5. <u>नलकूप प्रगति</u> – पूर्व में स्वीकृत 444 परियोजनाओं के सापेक्ष 316 परियोजनाओं के नलकूप के कार्य पूर्ण कराये गये हैं तथा कुल 372 परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि अवशेष 72 परियोजनाओं के नलकूप के कार्य कार्यस्थल पर 15 रिंग मशीन, ओ0पी0 यूनिट एवं कम्प्रेशर सेट बढ़ाते हुए नये स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

6. <u>पम्प हाउस</u> – कवर अनुबन्ध अन्तर्गत स्वीकृत 444 परियोजनाओं के 444 नग पम्प हाउस के सापेक्ष 125 नग पम्प हाउस के कार्य पूर्ण किये गये, बताये गए तथा 238 के कार्य प्रगति पर होना अवगत कराया गया। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि अवशेष 106 पम्प हाउस के कार्य भी 15 दिनों में टीम बढ़ाते हुए पूर्ण कराये जायें।

7. <u>अवर जलाशय</u> – स्वीकृत कवर अनुबन्ध अन्तर्गत परियोजनाओं के सापेक्ष कुल स्वीकृत 444 नग अवर जलाशय के सापेक्ष 03 अवर जलाशय के कार्य फर्म द्वारा पूर्ण कराये गये हैं एवं 223 अवर जलाशय के कार्य प्रगति पर होना अवगत कराया गया है। अवशेष अवर जलाशय के कार्यों को टीम बढ़ाते हुए शीघ्रातिशीघ्र प्रगति पर लाकर पूर्ण कराये जाने के आदेश मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा दिये गये।

8. <u>वितरण प्रणाली</u> –स्वीकृत कवर अनुबन्ध अन्तर्गत परियोजनाओं के सापेक्ष कुल स्वीकृत 444 वितरण प्रणाली के सापेक्ष 146 वितरण प्रणाली के कार्य फर्म द्वारा पूर्ण कराये गये हैं। अवशेष कार्य पूर्ण न कराये जाने के सम्बन्ध में फर्म के प्रतिनिधि से पूछे जाने पर कार्य प्रगति पर है, से सम्बन्धित सूचना से अवगत कराया गया। इस पर भी मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा टीम बढ़ाकर कार्यों को पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये।

9. <u>हाईड्रोटेस्टिंग</u> – स्वीकृत कवर अनुबन्ध अन्तर्गत परियोजनाओं के सापेक्ष कुल स्वीकृत 351 हाइड्रोटेस्टिंग के सापेक्ष 143 हाइड्रोटेस्टिंग के कार्य फर्म द्वारा पूर्ण कराये गये हैं। अवशेष 124 हाइड्रोटेस्टिंग के कार्यों को 06 टीमें बढ़ाते हुए पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये।

10. <u>पेयजल गृह संयोजन</u> – क्रियान्वित पेयजल गृह संयोजन के मार्च, 2023, मासिक एवं सप्ताहिक प्रगति की समीक्षा किये जाने पर निर्देशित किया गया कि सप्ताहिक लक्ष्य के सापेक्ष वर्तमान में प्राप्ति 92.26 प्रतिशत है, को बढ़ाते हुए शत् प्रतिशत पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। इस हेतु अनुबन्धित फर्म, मैन पॉवर/साइट इंजीनियर/लेवर एवं टी0एण्ड पी0 इत्यादि बढ़ाते हुए प्रगति को शत् प्रतिशत प्राप्त किये जाने का कार्य करेंगें।

11. <u>सामग्री प्रगति समीक्षा</u> वर्तमान तक कुल स्वीकृत परियोजना 444 के सापेक्ष आवश्यकता के अनुरूप अवशेष पम्पिंग प्लान्ट, सोलर पैनेल, जिंककैलम टैंक, पाइप लाइन एवं एफ0एच0टी0सी0 से सम्बन्धित सभी परियोजनाओं हेतु आवश्यक सामग्री क्रय किये जाने की कार्यवाही मार्च, 2023 से पूर्व पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

12. आई0एस0ए0 के कार्यों की समीक्षा में पाया गया कि मै0 भूषण सेवा संस्थान तथा शिक्षा भारती द्वारा कार्यों की प्रगति में कोई सुधार नहीं है, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा उक्त आई0एस0ए0 को नोटिस निर्गत करने तथा अवशेष कलस्टर को कराये गये कार्यों की प्रगति के आधार पर आवंटित करने हेतु निर्देशित किया गया।

अतः सम्यक विचारोपरान्त उक्त 55 नग डी0पी0आर0 (116 राजस्व ग्राम) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) की संस्तुति के आधार पर स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया है।

अधिशासी अभियन्ता
खण्ड कार्यालय,
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण),
शाहजहाँपुर।
(सदस्य सचिव)

for
अधिशासी अभियन्ता
(वि0/यां0)
खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम,,
मुरादाबाद।
सदस्य

अधिशासी अभियन्ता
लघु सिंचाई,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

जिला कृषि अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

अधिशासी अभियन्ता
वाटर रिर्सोसेस/सिंचाई
शाहजहाँपुर।
सदस्य

जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

बेसिक शिक्षा अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

जिला विकास अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, शाहजहाँपुर
सदस्य

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

प्रभागीय बनाधिकारी स्वयं अथवा
उनके नामित सदस्य,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

मुख्य विकास अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
उपाध्यक्ष

जिलाधिकारी, (अध्यक्ष)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति
शाहजहाँपुर।